

राजस्थान सरकार  
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/१५७०

दिनांक 21/3/2018

विभागाध्यक्ष  
समस्त।

विषय:- माह मार्च 2018 देय माह अप्रैल 2018 के वेतन बिलों के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) पर ऑनलाइन बजट दिनांक 01.04.2018 से ही विभागों को उपलब्ध होगा जिसके कारण माह मार्च 2018 देय माह अप्रैल 2018 के ऑनलाइन वेतन बिल आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.04.2018 से ही सिस्टम पर बनाये जा सकेंगे तदुपरान्त कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा उन्हें अधिकृत कर ऑनलाइन भुगतान हेतु फाइल तैयार कर बैंक को उपलब्ध करवाई जायेगी।

अतः उक्त संदर्भ में दिनांक 01.04.2018 से आई.एफ.एम.एस. पर वर्ष 2018-19 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत बजट आवंटन करते हुए अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/१५७१-५७५

दिनांक 21/3/2018

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. कोषाधिकारी समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च 2018 देय माह अप्रैल 2018 के वेतन बिलों को प्राथमिकता के आधार पर पारित कर ऑनलाइन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग सचिवालय को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव